

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1919 /

जबलपुर, दिनांक 12/04/2018

श्रीमती भूरी बाई, भृत्य (स्वीपर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के द्वारा रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक ए/324 दिनांक 26.02.16 एवं नोटिस क्रमांक ए/491 दिनांक 15.03.18 की अवहेलना करते हुए निर्धारित अवधि में निर्देशानुसार चिकित्सीय दस्तावेज एवं देवर का निधन हो जाने से संबंधित प्रमाण पत्र तथा उक्त संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने के कारण दिनांक 03.02.18 से 06.02.18 तक 4 दिवस एवं दिनांक 10.02.18 से 24.02.18 तक 15 दिन कुल योग 19 दिन का अवैतनिक किया जाता है।

सही / -

(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/1920 /

जबलपुर, दिनांक 12/04/2018

प्रतिलिपि -

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
3. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. सहायक सेवापुरस्तिका/अवकाश/वेतन पत्रक/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
6. श्रीमती भूरी बाई, भृत्य (स्वीपर), यूनिफ कोड नम्बर-180014504, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(अजय पवार)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)